संख्या-01/2020/18/71-3-2020-जी-75/2014टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में स्थापित उपकरणों की मरम्मत, ए0एम0सी0 व सी0एम0सी0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/610, दिनॉक 17-12-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में स्थापित उपकरणों की मरम्मत, ए0एम0सी0 व सी0एम0सी0 हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत "अनुरक्षण" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 1,66,51,665.00 (रू0 एक करोड़ छाछठ लाख इक्यावन हजार छः सौ पैसठ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु महानिदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर के खाते में नहीं रखी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-01/2020/18(1)/71-3-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।